जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयत्नों का विवरण

जविप्रा द्वारा Water Harvesting and Ground Water Conservation हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. भवन निर्माण के दौरान पूर्व में जारी 500 वर्गमीटर से अधिक भवनों में Water Harvesting Structures बनाने की अनिवार्यता को संशोधित करते हुए 300 वर्गमीटर एवं उससे अधिक के भूखण्डों के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य किया जा चुका है। आयुक्त जविप्रा द्वारा क्रमांक डी–117 दिनांक 11.03.2010 द्वारा वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करने के उदेद्श्य से आदेश जारी किये गये है। प्रवर्तन शाखा द्वारा भी ऐसे निर्मित भवनों के लगभग **433 निर्माताओं को नोटिस जारी किये गये है जिससे अब तक 232 भवनों में वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाये जा चुके है तथा 146 भवनों में और बनाये जाने का आश्वासन प्राप्त हो चुका है।**
2. आम जनता से सीधे समन्वय की दृष्टि से जविप्रा द्वारा इस क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले **21 संस्थानों को जलदूतों के रूप में पंजीकृत किया गया है** एवं उनके नाम एवं मोबाईल नम्बर जविप्रा की वेबसाईट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचारित किये गए है जिससे आम व्यक्ति उनसे सीधे सम्पर्क कर Rain Water Harvesting System की जानकारी उपलब्ध कर सके। इन जलदूतों से सम्पर्क कर काफी लोगों द्वारा तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई है व वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हेतु स्वयं के स्तर पर भी कार्य प्रारम्भ किए है। **जलदूतो के माध्यम से अब तक 250 से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्मित किये जा चुके हैं तथा 1200 से अधिक लोगों को इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है व यह एक सतत् प्रकिया है।**
3. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 स्ट्रॉम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए 100.00 लाख रूपये की राशि एवं 50 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए 50.00 लाख रूपये की राशि तथा पूर्व बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के संधारण के लिए 5.00 लाख की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई थी जिसके अन्तर्गत **52 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण पूर्ण किया जा**

चुका है। इसी प्रकार अब 29 स्ट्रॉम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

4. जल संरक्षण हेतु भविष्य में जविप्रा द्वारा बनाये जाने वाले समस्त सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य भवनों में Water Harvesting Structures का प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा गया है। इसी प्रकार नई विकसित की जा रही योजनाओं में भी Water Harvesting Structures बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।
5. जल संरक्षण के लिए **जविप्रा के बड़े मुख्य पार्कों में जैसे रामनिवास बाग, सेन्ट्रल पार्क, जवाहर सर्किल में सीवर लाईन के पानी को 1 MLD का ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाकर** शोधित करने के पश्चात् गार्डन एवं पेड़ पोधों को पानी पिलाने में उपयोग लिये जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें जवाहर सर्किल पर प्रस्तावित ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इसके पानी का उपयोग बागवानी के लिए भी प्रारम्भ कर दिया गया है। रामनिवास बाग व सेन्ट्रल पार्क में उक्त कार्य हेतु ले–आऊट दे दिया गया है। जविप्रा द्वारा विकसित किये जा रहे **विद्याद्यर नगर स्थित ''स्वर्ण जयन्ती पार्क'' में सीवर के पानी को बागवानी के लिए उपयोग में लेने के लिए 1 MLD क्षमता के ट्रीटमेन्ट प्लांट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति** राशि रूपये 256.00 लाख दिनांक 24.05.2010 को जारी की जाकर निविदाऐं प्राप्त कर ली गई हैं। कपूर चन्द्र कुलिश स्मृति वन में स्थित जवाहर नाले के पानी को सेडीमेन्टेशन एवं फिल्ट्रेशन विधि से शोधित किया जाकर वन विभाग द्वारा लगभग 2 से 3 लाख लीटर पानी प्रतिदिन स्मृति वन में बागवानी के उपयोग में लिया जा रहा है जिसके लिए राशि जविप्रा द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
6. जविप्रा द्वारा कम से कम पानी के उपयोग के लिए बड़े पार्क एवं मीडियन्स इत्यादि में ड्रिपइरिगेशन द्वारा सिंचाई का प्रावधान लिया जाएगा ताकि जल अपव्यय रोका जा सके। इसी प्रकार पार्कों में लॉन इत्यादि के क्षेत्रफल को कम करते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि पानी की खपत कम हो।